सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या: 107/2018 दायर दिनॉक 22.06.2018

प्रार्थी		अप्रार्थी
1. पतासी देवी पत्नि पन्नाराम पुत्री स्व. भागीरथ राम आयु 80 वर्ष जाति मेघवाल निवासी दयालपुरा हाल निवासी भिराणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर, राजस्थान।	बनाम्	1. नाथूराम पुत्र भागीरथराम आयु 70 वर्ष 2. गोपीराम पुत्र भागीरथराम आयु 60 वर्ष 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला नागौर (राज.) 4. जगदीश प्रसाद पुत्र सुण्डाराम आयु 52 वर्ष जाति मेघवाल निवासी दयालपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री सुरेन्द्र पुरी वकील प्रार्थी।
2. श्री रामेश्वर भाकर वकील अप्रार्थी सं0 01, 02, 04।

दिनॉक 27.10.2020

–:: निर्णय ::–

प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया की पुस्तेनी भूमि शरहद दयालपुरा के खसरा सं0 384 रकबा 19 बीघा है। प्रार्थीया के पिता की मृत्यु होने के पश्चात उक्त भूमि का नामान्तरण अप्रार्थी सं. 1 व 2 जो कि प्रार्थीया के भाई के नाम दर्ज हो गया जबकी उक्त भूमि में प्रार्थीया का हक–हिस्सा भी निहित है। उक्त भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज नही होने से अप्रार्थी सख्या 1 व 2 उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त भूमि को बेचान करने में सफल हो जाते है तो अप्रार्थीया को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी भरपाई किमतन किया जाना संभव नही है। अतः प्रार्थना–पत्र के साथ मूल वाद के निर्णय होने तक अप्रर्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावें की वादग्रस्त सम्पती का बैचाण, हस्तानान्तरण, रहन आदी न करें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारो को जरीय समन तलब किया गया। प्रार्थी सं. 1 व 2 की और से जबाब प्रस्तुत किया जो सामिल मिसल किया गया। प्रकरण में प्रार्थी जगदीश प्रसाद पुत्र सुण्डाराम ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर प्रकरण में वर्णित वाद ग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हक निहित होने से आवश्यक पक्षकार बनाने का निवेदन किया जिस पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 4 के रूप संयोजित किया गया । अप्रर्थी 4 की और से जबाब प्रस्तुत हुआ जो सामिल मिसल है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–प्रार्थना–पत्र, संख्या 107/2018
दायर दिनाँक 22.06.2018, निर्णय दिनाँक 27.10.2020
पतासी देवी बनाम नाथूराम, वगैरा।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी गई अभिभाषको ने अपने–अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं जवाबों में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों मे वर्णित तथ्यों का पुनः दोहरान किया।

विद्वान अभिभाषकों की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीया अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पुस्तेनी सम्पति में किसी प्रकार का हक–अधिकार रखती है, का निर्णय मूल वाद में होना है।

यदि यह मान भी लिया जाये की प्रथम दृष्टया प्रार्थीया पुश्तैनी संपत्ति में अपना हक–हिस्सा रखती है तो भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से 5 बीघा भूमि का बेचान प्रार्थीया के हक–हिस्से को किसी प्रकार से भी कम नही करता है। अतः उक्त बेचान से प्रार्थीया के संभावित हिस्से (मूल वाद में प्रार्थीया द्वारा मांगे गये अनुतोष के मुताबिक) में किसी प्रकार की कमी या नुकसान नहीं हो रहा है।

अतः उक्त प्रार्थीया की एक पक्षीय अंतरिम आदेश दिनांक **22.06.2018** को बेचाननामा दिनांक **20.06.2018** तक के हिस्से तक खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार डीडवाना को आदेशित किया जाता है कि उक्त बेचाननामा दिनांक 20.06.2018 पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 473 में पृष्ठ संख्या 31 क्रम संख्या 201803173101959 में किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं है।

प्रार्थीया को भविष्य में किसी प्रकार का नुकसान या अपूरणीय क्षति न हो इस हेतु आज दिनांक 27.10.2020 से भविष्य में मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजियात का बेचाण, हस्तानान्तरण व वादग्रस्त आराजियात में नव निर्माण या खुर्द–बुर्द नही करेगें।

प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से 5 बीघा भूमि का बैचाण किया गया है। अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार होने से एवं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह अपनी हक–हिस्से तक की भूमि का बैचाण, हस्तान्तरण, रहन करने के लिए स्वतंत्र है। खातेदार काश्तकार को अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है।

आदेश

अतः उक्त प्रार्थीया की एक पक्षीय अंतरिम आदेश दिनांक **22.06.2018** को बेचाननामा दिनांक 20.06.2018 पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 473 में पृष्ठ संख्या 31 क्रम संख्या 201803173101959 तक के हिस्से तक खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार डीडवाना को आदेशित किया जाता है की बेचाननामा दिनांक 20.06.2018 पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 473 में पृष्ठ संख्या 31 क्रम संख्या 201803173101959 में किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं है। प्रार्थीया को भविष्य में किसी प्रकार का नुकसान या अपूरणीय क्षति न हो इस हेतु आज दिनांक 27.10.2020 से भविष्य में मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे बेचाननामा के अतिरिक्त वादग्रस्त आराजियात का बेचाण, हस्तानान्तरण व वादग्रस्त आराजियात में नव निर्माण या खुर्द–बुर्द नही करेगें।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **27.10.2020** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner